कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14—अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522—2288656 cehydelpcl@gmail.com फैक्स : 0522—2288655

संख्या : 1684/अनु0—2/सी0ई0एच0/प्रोन्नति/2022 दिनॉक : 30.06.2022

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल) रेग्युलेशन 1972 यथा संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को/कारपोरेट तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के अधीन अवर अभियन्ता (जानपद) (सामान्य श्रेणी) के रिक्त पदों के विरूद्व कारपोरेशन के आदेश संख्या—1032—विनियम एवं काविनी—29/पाकालि/2021—68—विनियम—15(टी0सी0), दिनांक 09.11.2021 के द्वारा गठित विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनोपरान्त प्रेषित तकनीशियन कार्मिकों की सूची के अनुपालन में एतद्द्वारा उ0प्र0 पा0का0लि0 व उसके सहयोगी वितरण निगमों/केस्को/कारपोरेट तथा उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0 के अधीन कार्यभार ग्रहण की तिथि से दिनांक 01.01.2016 से लागू सप्तम् वेतन आयोग के अन्तर्गत अवर अभियन्ता का प्रविष्टि वेतन/न्यूनतम वेतन मैट्रिक्स लेवेल—07 (44900—142400) पर स्थानापन्न एवं अस्थाई अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ—8 में अंकित निगमों/इकाईयों में अग्रेतर तैनाती हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ आवंटित किया जाता है कि इन अवर अभियन्ताओं को उनके वर्तमान तैनाती स्थल एवं गृह जनपद में तैनात न किया जाये।

8.33 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयन द्वारा प्रोन्नत जानपद कार्मिकों का विवरण

S.n	Seniorty Number	Name Sri.....	Father's Name Sri...	Home District	Date of Birth	Discom	Allotment
1	2	3	4	5	8	18	25
1	CEHC-7212	MANISH KUMAR VERMA	Late Bharat Ram Verma	Ballia	07-06-1984	PuVVNL, Varanasi	Transco

उपर्युक्त कार्मिकों की चयन द्वारा प्रोन्नति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन की जाती हैः—

1. उक्त कार्मिकों को अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर चयन द्वारा प्रोन्नति के पश्चात नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु, कार्यमुक्त करने से पूर्व उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी निम्नांकित को सुनिश्चित करेंगे तथा इन तथ्यों का अलग—अलग प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जारी करेंगे जिससे सम्बन्धित कार्मिक कार्यभार ग्रहण कराने वाले अधिकारी को अपनी योगदान आख्या के साथ प्रस्तुत कर सके :—

(क) कार्मिक की कार्यमुक्ति के तिथि तक कारपोरेशन/निगम में की गयी सेवाओं में निरन्तरता थी, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ख) कार्मिक के विरूद्व कोई भी विभागीय अग्रिम, संयत्र, भण्डार सामग्री अवशेष नहीं है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ग) कार्मिक के विरूद्व कोई भी अनुशासनिक/न्यायिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(घ) उपर्युक्त सूची में अंकित कार्मिक के विरूद्व यदि कोई प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो कार्मिक को

.....2

कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है, सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

2. इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

3. कार्मिक की चयन द्वारा यह प्रोन्नति पूर्णरूप से अस्थायी है, जो किसी भी समय बिना कारण बताये अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

4. सम्बन्धित डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रबन्ध निदेशक उपरोक्त आवंटित कार्मिकों की तैनाती अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। चयनित/प्रोन्नत समस्त कार्मिक, आदेश निर्गत होने के एक माह में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विषय में यह मानते हुये कि वह प्रोन्नति पद स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है, तदानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

5. चयनित/प्रोन्नत कार्मिकों के नाम, पिता का नाम, गृह जनपद, जन्म तिथि एवं वर्तमान तैनाती इकाई इत्यादि में यदि टंकण की त्रुटि के कारण कोई भिन्नता परिलक्षित होती है, तो उन विवरणों को सम्बन्धित कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टि के अनुसार संशोधन योग्य होगी।

6. नव–तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण/योगदान आख्या लेने से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता अधोलिखित सूचना/प्रमाण–पत्र प्रत्येक अभ्यर्थी से दों प्रतियों में प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे जिसकी एक प्रति अपने कार्यालय में तथा एक प्रति मुख्य अभियन्ता (हा0), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ को रिकार्ड के लिए प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(क) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर पर कार्मिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गृह जनपद, शैक्षिक/तकनीकी योग्यता इत्यादि की पुष्टि/सत्यापन कार्मिक के सेवा पुस्तिका में अंकित प्रविष्टियों एवं इनसे सम्बन्धित प्रमाण पत्रों से करेंगे तथा भिन्नता की स्थिति में कार्मिक से शपथ पत्र आदि लेकर अग्रेतर कार्यवाही करेगें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायेगें।

(ख) प्रोन्नति कार्मिक अपनी योगदान आख्या के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/घोषणापत्र नव तैनाती स्थल/कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

1. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को की सेवाओं में कार्यरत होने सम्बन्धी घोषणा।
2. समस्त चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा।
3. विभागीय/अन्य श्रोतों से लिए गये ऋण की घोषणा।
4. कारपोरेशन/डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के प्रति निष्ठावान होने की घोषणा।
5. इन कार्मिकों के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी के द्वारा जारी बिन्दु संख्या 1 पर अंकित विभिन्न मदों का प्रमाण पत्र।
6. कार्मिक को अपनी योगदान आख्या पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति डिस्काम/केस्को/ट्रांस्को के माध्यम से मुख्य अभियन्ता (हा0) के कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
7. प्रकरण में शेष रिक्त पदों के विरूद्ध अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे, जिन पर विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8. उक्त चयनित अभ्यर्थियों के विरूद्ध भविष्य में उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता एवं अनुभव नियमानुसार नहीं पायी जाती है, तो उनकी प्रोन्नति निरस्त कर दी जायेगी।

(नोटः– उपरोक्त कार्मिक को तय समय–सीमा के अन्दर कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को ही जिम्मेदार माना जायेगा।)

मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)

...3

संख्या : 1668 अ–2/तद्दिनॉक 30.06.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यॉचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/आगरा।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0), उ0प्र0 पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संशाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त सूचना को कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
10. समस्त कारपोरेट कार्यालय., उ0प्र0 पा0का0लि0
11. व्यक्तिगत पत्रावली/गार्ड फाइल/कट फाइल।

30.06.2022

(हेमन्त कुमार गुप्ता)
वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइडिल)